रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072020-220479 CG-DL-E-11072020-220479

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2035] No. 2035] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11, 2020/आषाढ़ 20, 1942 NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11, 2020/ASHADHA 20, 1942

गृह मंत्रालय (सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई 2020

का.आ. 2307(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2162 (अ.), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 43 (अ.), दिनांक 3 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुदुचेरी के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोदिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पुदुचेरी , माहे एवं यानम जिलों में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

3088 GI/2020 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2020

S.O. 2307(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2162 (E), dated the 1st September, 2010 and S.O. 43 (E), dated the 3rd January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Madras, hereby designates the Court of the Principal District & Sessions Judge Puducherry, as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the districts of Puducherry, Mahe and Yanam of the Union territory of Puducherry.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)] ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई 2020

का.आ. 2308(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2162 (अ.), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 43 (अ.), दिनांक 3 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्द्वारा कराईकल स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोदिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पदचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कराईकल जिले में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2020

S.O. 2308(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2162 (E), dated the 1st September, 2010 and S.O. 43 (E), dated the 3rd January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Madras, hereby designates the Court of the District & Sessions Judge at Karaikal, as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Karaikal district of the Union Territory of Puducherry.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)] ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.